

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस – युनिट नं. 809-815, आठवॉ फ्लोर टॉवर ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स गोल्फ कोर्स एक्स, रोड सेक्टर 61 गुरुग्राम 122102। तथा ब्रांच ऑफिस 303 तीसरा फ्लोर एक्सिस मॉल भगवान दास रोड राजधानी हॉस्पिटल के सामने सी स्कीम जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी सिद्धार्थ तिवारी।
– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

- राजेश वैष्णव पुत्र मुरलीदास निवासी छीपों का मौहल्ला, ताल, राजसमन्द 313331
– ऋणी
- भावना देवी पत्नी राजेश वैष्णव निवासी छीपों का मौहल्ला, ताल, राजसमन्द 313331
– सहऋणी व गारण्टर
- ललित कुमार वैष्णव पुत्र मुरलीदास निवासी छीपणे का मौहल्ला ताल, राजसमन्द 313331
– सहऋणी व गारण्टर

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एकट

पत्रावली संख्या 18 /2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 05.02.2024</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 29.09.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी ने अप्रार्थी/ऋणीगण को कुल रुपये 2100000/- (रु रुपये इक्कीस लाख) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध से LXBHIO1222-230017357 दिनांक 08-06-22 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी/ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में दो सम्पत्ति, सम्पत्ति स्थित पट्टा न: 94 बुक न. 162 ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 1000</p>	



वर्ग फीट सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 81, बुक न. 21, ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 913 वर्ग फीट को बंधक रखा था। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को फाइनेन्स कम्पनी के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता को दिनांक 04/06/2023 को एन पी ऐ घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी ऋणीगण के ऋण खाते में रु 2197593/- (रु रुपये इक्कीस लाख सतयानये हजार पांच सौ तिरानवे) दिनांक 06/06/2023 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चें बकाया निकलते है। अप्रार्थीगण ने ऋण राशि के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी संपत्ति को प्रार्थी के पक्ष में बंधक रखा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- **बंधक सम्पत्ति का विवरण** :- सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 94 बुक न. 162 ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, पूर्व में घीसूलाल का मकान, पश्चिम में राधाकिशन सैन का मकान, उत्तर में भागवत सिंह का मकान, दक्षिण में आम रास्ता तथा सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 81 बुक न. 21 ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 913 वर्ग फीट पूर्व में भागवत सिंह का मकान, पश्चिम में बालूजी सैन का मकान, उत्तर में रावला की जमीन, दक्षिण में स्वयं का मकान है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 06.06.2023 को अप्रार्थीगण नोटिस दिया गया। नोटिस की तामिल हो जाने के बावजूद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड को नहीं किया गया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड प्रकरण में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 06.06.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण



और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण : पट्टा न. 94 बुक न. 162 ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, पूर्व में घीसूलाल का मकान, पश्चिम में राधाकिशन सैन का मकान, उत्तर में भागवत सिंह का मकान, दक्षिण में आम रास्ता तथा सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 81 बुक न. 21 ग्राम ताल ग्राम पंचायत ताल, पंचायत समिती देवगढ़ राजसमन्द क्षेत्रफल 913 वर्ग फीट पूर्व में भागवत सिंह का मकान, पश्चिम में बालूजी सैन का मकान, उत्तर में रावला की जमीन, दक्षिण में स्वयं का मकान है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी उम्मीद हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



Mull
(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द